वास्तविक स्वच्छता हेतु औपचारिकता नहीं परिणाममूलक कार्य किएः नारायन

भोपाल (काप्र)।

निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन ने शहर की साफ-सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया और साफ-सफाई व्यवस्था में और अधिक सुधार लाने हेतु अधिकारियों को समक्ष में व वी.सी. के माध्यम से निर्देशित करते हुए कहा कि वास्तविक स्वच्छता हेतु महज औपचारिकता न करें बल्कि परिणाममूलक कार्य किये जाएं ताकि प्रथम दृष्टया शहर में स्वच्छता नजर आये।

श्री नारायन ने निर्देशित किया कि सड़कों, गलियों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कचरा डम्प न हो और समस्त जी.वी. पाइंट्स को विलोपित करने की कार्यवाही की जाएं। निगम आयुक्त ने रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने बड़े तालाब में बड़ी संख्या में पूजन सामग्री सहित अन्य सामग्री फैली होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए तत्काल साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने शनिवार को प्रातः शहर के विभिन्न क्षेत्रों में साफ-सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया और समक्ष में तथा वी.सी. के माध्यम से निर्देशित किया कि डोर-टू-डोर कचरा एकत्रीकरण की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाएं, सड़कों, गलियों, सार्वजनिक स्थलों पर कचरा किसी हाल में डम्प न होने दें, सफाई कार्य के दौरान निकले कचरे को तत्काल बोरी/भक्कू में भरकर रखें और कचरा वाहन के माध्यम से निष्पादन स्थल पर पहुंचायें। निगम आयुक्त श्री नारायन ने भीमनगर, बिड़ला मंदिर क्षेत्र में बनें जी.वी. पाइंट को विलोपित करने के निर्देश दिए और कहा कि शहर में जहां कहीं भी जी.वी. पाइंट्स बनें हैं उन्हें तत्काल विलोपित किया जाएं और इन स्थलों पर सतत रूप से निगरानी भी रखी जाएं ताकि पुनः जी.वी. पाइंट न बन सकें। निगम आयुक्त ने बड़े तालाब में बड़ी संख्या में पूजन सामग्री सहित अन्य सामग्री फैली होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए तत्काल साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए। श्री नारायन ने न्यू मार्केट क्षेत्र की साफ-सफाई व्यवस्था में और अधिक सुधार लाने के निर्देश दिए और स्वच्छता संबंधी कार्यों से संलग्न अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में सतत रूप से भ्रमण कर स्वच्छता संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण करें और केवल औपचारिकता न निभाएं बल्कि वास्तविक स्वच्छता हेतु परिणाममूलक कार्य करें। श्री नारायन ने एयरपोर्ट तिराहे क्षेत्र में गंदगी पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल इस क्षेत्र की सफाई कराने तथा एयरपोर्ट से मुबारकपुर तक सड़क के दोनों ओर की बेहतर साफ-सफाई हेतु स्वच्छता की टीमें लगाकर कार्य कराने के निर्देश दिए।

राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने 2 करोड़ 25 लाख के विकास कार्यों का किया भूमि-पूजन

भोपाल(काप्र)।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि निर्माण ऐजेन्सीयाँ उनकों सौपे गये निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ तय समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नागरिकों को किए गए बादे के अनुसार क्षेत्र में विकास कार्यों में कमी नहीं रहने दी जाएगी। आवागमन के लिए सड़कों के निर्माण में पूरा-पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि सड़के निर्माण के बाद लंबे समय तक चले, इसलिए सीमेंट क्रांकीट रोड बनाए जा रहे है। नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण मिले इसके दृष्टिगत हर कॉलोनी के पार्कों का विकास किया जा रहा है। कॉलोनी में सीवेज सिस्टम को भी ठीक किया जा रहा है। साफ-सफाई का भी ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। राज्यमंत्री श्रीमती गौर शनिवार को गोविंदपुरा विधानसभा के वार्ड 52 में आयोजित भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से होने वाले कई निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन किया। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने उन्हें ऐतिहासिक वोटों से विजयी बनाया है। क्षेत्र के विकास के लिए वह पूरे समर्पण के साथ कार्य कर रही हैं। विकास के काम में कोई कमी नहीं रखेंगे। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने वार्ड 52 की श्रीराम कालोनी में 45 लाख रुपए की लागत से होने वाले 6 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया, जिसमें सीसीरोड से लेकर पार्कों का सौंदर्यकरण के कार्य शामिल हैं। स्नेह नगर में 15 लाख की लागत से पेपर ब्लॉक एवं पार्क विकास कार्य का भूमिपूजन किया। चिनार कालोनी में 11 लाख की कीमत से बनने वाली सीसीरोड का भूमि-पूजन एवं रोहित नगर में दो पार्कों के विकास कार्यों का भूमि-पजन भी किया। चंद्रिका सोसाइटी और सेज हेरिटेज के पास सीसीरोड के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। इस दौरान पार्षद श्रीमती शीला पाटीदार, पूर्व पार्षद रामबाबू पाटीदार, जितेंद्र शुक्ला, मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र परिहार, प्रताप बारे और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने प्रेस दिवस पर पत्रकारों को दी बधाई, कहा

राष्ट्रीय प्रेस दिवस लोकतंत्र में एक स्वतंत्र एवं जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति का प्रतीक

भोपाल(काप्र)।

भारतीय प्रेस परिषद ने विधिवत रूप से 16 नवम्बर, 1966 से कार्य करना प्रारंभ किया। इस दिन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए इसे प्रतिवर्ष 16 नवम्बर को भारतीय प्रेस दिवस'' के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में प्रिंट मीडिया के लिये व्यावसायिक मानकों को परिभाषित करने और उनका निर्वहन करने वाले नियामक के रूप में भारतीय प्रेस परिषद (प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया) कार्य कर रही है।

यह एक वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस सही मायनों में लोकतंत्र के केन्द्र में एक स्वतंत्र एवं जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति का प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस-2024 की थीम प्रेस का बदलता स्वरूप'' है। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना का पहला सुझाव वर्ष 1956 में प्रथम प्रेस आयोग द्वारा दिया गया था। आयोग ने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और रिपोर्टिंग में नैतिकता के मानदण्डों को निरंतर रूप से बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया था। गठन के बाद से ही भारतीय प्रेस परिषद ने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने में सदैव आगे बढ़कर भूमिका निभाई है। इससे मीडिया संस्थानों के लिये बगैर किसी भय और हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना संभव हुआ है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस को मनाया जाना और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है, जबकि मीडिया को लोकतंत्र के चौथे सशक्त स्तम्भ के रूप में स्थान प्राप्त होता है। वर्तमान में मीडिया जनमत तैयार करने, सत्ता को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के साथ ही विकास की गति को भी तीव्र करने में निरंतर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का सार्थक निर्वहन करते रहा है।

मीडिया की भूमिका आमजन के हितों की रक्षा करने के साथ ही पारदर्शिता को बढ़ाने में भी अग्रणी रही है। भारतीय प्रेस परिषद समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता को बनाये रखना सुनिश्चित करता है। यह इस बात पर भी दृष्टि रखता है कि मीडिया का स्तर सार्वजनिक उपभोग के लिये उच्च बना रहे। परिषद उन घटनाक्रमों पर भी सतत नजर बनाये रखता है, जो समाचार के स्वतंत्र प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। यह समाचार से संबंधित तकनीकी और अन्य शोध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिये भी निरंतर कार्य करता है। भारतीय प्रेस परिषद में कोई सम्पादक या पत्रकार किसी सम्पादक या पत्रकार द्वारा किये गये व्यावसायिक कदाचार या पत्रकारिता संबंधी नैतिकता के उल्लंघन संबंधी शिकायत कर सकता है। परिषद इसकी छानबीन के लिये गवाहों को बुला सकती है। अभिलेखों की प्रतियाँ माँग सकती है। परिषद चेतावनी जारी कर सकती है साथ ही दोषियों की आलोचना भी कर सकती है, फिर चाहे वह पत्रकार, सम्पादक, समाचार-पत्र या समाचार एजेंसी हो।

भारतीय प्रेस परिषद की संरचना

भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष वर्तमान में न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई है। प्रेस परिषद में अध्यक्ष सहित 28 सदस्य होते हैं। इसमें 2 राज्यसभा सदस्य, 3 लोकसभा सदस्य, 3 सार्वजनिक जीवन पर विशेष ज्ञान रखने वाले लोग, 6 समाचार-पत्रों के सम्पादक, 6 व्यक्ति समाचार-पत्रों के प्रबंधन से संबंधित, 7 कार्यरत पत्रकार (समाचार-पत्रों के सम्पादक के अतिरिक्त) सदस्य होते हैं। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष परम्परानुसार सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं।

डीएमएस में अंतर विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न

भोपाल(काप्र)।

डेमोंस्ट्रेशन मल्टीपर्पस स्कूल, (एडीएमएस)(रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ एजुकेशन), ने 47वीं अंतर-विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी कलात्मक प्रतिभा के माध्यम से सामाजिक व पर्यावरणीय मुद्दों पर अपनी रचनात्मक सोच और दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया।

प्रतियोगिता का आयोजन चार श्रेणियों में किया गया। कक्षा केजी 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को स्वतंत्र रूप से अपनी कल्पनाओं को, कला के माध्यम से अभिव्यक्त करने का, अवसर दिया गया। कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण विषयों जैसे पर्यावरण संरक्षण, उन्नत भारत स्वच्छ भारत, समग्र कल्याण, और भविष्य का भारत जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कलात्मक अभिव्यक्ति का अवसर मिला।

प्रतियोगिता में 700 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने अपने कला के माध्यम से गहरी समझ, रचनात्मकता और सामाजिक सरोकारों को प्रदर्शित किया। उनकी कलाकृतियां न केवल उनकी कलात्मक क्षमता को दर्शाती हैं, बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति उनकी जागरूकता को भी उजागर करती हैं।

प्रतियोगिता का मूल्यांकन क्षेत्र के प्रख्यात कलाकारों और शिक्षाविदों द्वारा किया जायेगा। स्कूल के वार्षिक समारोह में विजेताओं को प्रमाणपत्र एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जायेगा ।

डेमोंस्ट्रेशन मल्टीपरपज स्कूल की प्रधानाध्यापिका डॉ. इश्वंत कौर ने इस अवसर पर कहा, यह प्रतियोगिता केवल कला का मंच नहीं है, बल्कि छात्रों को भविष्य के लिए अपनी सोच को रचनात्मकता के माध्यम से व्यक्त करने का अवसर है। इस आयोजन के माध्यम से हम बच्चों को एक बेहतर और स्थायी भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

कार्यक्रम का समापन छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा इस आयोजन की सराहना के साथ हुआ।

एम्स में पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने किया रक्तदान

भोपाल (काप्र)। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने एम्स में गंभीर रूप से बीमार मरीजों के उपचार हेतु रक्तदान कर मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। यह रक्तदान उन मरीजों की मदद के लिए किया गया जिन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के चलते तत्काल रक्त की आवश्यकता थी। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. अजय सिंह ने इस अवसर पर कहाः यह पहल समाज में मानवता और सामूहिक जिम्मेदारी का आदर्श प्रस्तुत करती है। रक्तदान के माध्यम से न केवल मरीजों की जान बचाई जा सकती है, बल्कि यह समाज को यह संदेश भी देता है कि दूसरों की सहायता के लिए कदम बढ़ाना हमारा नैतिक दायित्व है। हम पुलिस विभाग के इस प्रयास की सराहना करते हैं और समाज के सभी वर्गों से अपील करते हैं कि वे इस नेक कार्य में भाग लें। पुलिस मुख्यालय की इस पहल ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए सक्रिय योगदान देना हम सभी का कर्तव्य है।

रिश्तेदारों को माईक्रो आब्जर्वर की ड्यूटी से हटाने की कांग्रेस ने मांग की

भोपाल(काप्र)। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जे.पी. धनोपिया ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को षिकायत करते हुये विजयपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना दिनांक 23 नवंबर को भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत के स्वजातीय बंधु एवं रिश्तेदारों को माईक्रो आब्जर्वर की ड्यूटी से हटाने की मांग की है।

श्री धनोपिया ने कहा कि विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव का मतदान 13 नवंबर, 2024 को सम्पन्न होने के उपरांत मतगणना दिनांक 23 नवंबर, 2024 को होना नियत है। भाजपा प्रत्याशी वनमंत्री रामनिवास रावत के इशारे पर कार्यरत जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर श्योपुर किशोर कन्याल द्वारा श्री रावत के स्वजातीय एवं रिश्तेदारों को मतगणना दिवस पर 32 माईक्रो आब्जर्वर नियुक्त कराया गया है जिनमें से 25 माईक्रो आब्जर्वर मीणा /रावत समुदाय के होकर उनके रिश्तेदार है तथा अन्य 7 उनके निजी सम्पर्कों में रहने वाले कर्मचारीगण है जिससे स्पष्ट है कि मतगणना दिवस को भी उसी तरह की अनुचित गतिविधिया सम्पन्न होगी, जैसी मतदान दिवस 13 नवंबर को सम्पन्न हुई है। श्री धनोपिया ने कहा कि विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा द्वारा उपरोक्त नियुक्त 32 माईक्रो आब्जर्वर जो कि भाजपा प्रत्याशीरामनिवास रावत के खास व्यक्ति है उनके प्रति अविश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें तत्काल मतगणना दिवस पर ड्यूटी से हटाने की मांग की गई है जिनका विवरण निम्नानुसार हैः- 1-पुखराज मीणा, 2-संजय कुमार मीणा 3-श्री राकेश कुमार मीणा 4-श्री विजेन्द्र कुमार मीणा 5-श्री जलधारी मीणा 6-राजेश कुमार मीणा 7'राहुल चौधरी 8-श्र अजय कुमार मीणा 9-श्री अनिल प्रातप सिंह 10-अभिषेक मीणा 11-अवनीत कुमार 12-आकाश अग्रवाल 13-ओमशिव मीणा 14-कपूर सिंह 15-कृष्णकुमार मीणा 16गोविन्द सिंह मीणा 17-श्री टिन्कू मीणा 18-दीपक प्रजापति 19-देवनारायण मीणा 20-देवेश कुमार 21-धर्मेन्द्र सिंह मीणा 22-श्री नरेन्द्र सिंह 23-पवन मीणा 24-मनीष कुमार मीणा 25-मनोज कुमार शर्मा 26-मयंक गुप्ता 27-राजेश दीक्षित 28-रामनरेश यादव 29-रामभरत मीणा 30-लोकेश मीणा 31-रविन्द्र कुमार मीणा 32-मोहित श्रीवास्तव।

हिंदी भवन में वरिष्ठ विमर्श संपन्न

भोपाल(काप्र)। नई तकनीक से भ्रष्टाचार पर बहुत हद तक अंकुश लगा है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आम नागरिक को जागरुक करना होगा। इस समस्या से निपटने में भारतीय ज्ञान परंपरा अहम भूमिका निभा सकती है। इस तरह के विचार शनिवार शाम हिंदी भवन में सुनाई दिए। अवसर था मप्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की नियमित श्रंखला 'वरिष्ठ विमर्श' का। विमर्श में इस बार 'जनतंत्र को भ्रष्टाचार मुक्त करने का दायित्व जन पर है' विषय पर विचार-विनिमय किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रशासनिक अधिकारी केके सेठी ने की। समिति के मंत्री संचालक कैलाशचंद्र पंत विशेष रूप से उपस्थित थे। अध्यक्षीय वक्तव्य में केके सेठी ने कहा कि तकनीक से भ्रष्टाचार पर बहुत हद तक अंकुश लगा है, लेकिन इसे पूरी तरह तभी समाप्त किया जा सकेगा जब आम आदमी जागरुक होगा। पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने कहा कि हमारी ज्ञान परंपरा में जो संस्कार दिये हैं वह इस समस्या से निपटने में सहायक होगी। युवा अधिवक्ता विलक्षण सक्सेना का कहना था कि मोबाइल का युग है। यदि कोई लोक सेवक आपसे किसी तरह की अनर्गल मांग करता है तो आप बातें रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोर्ट इसे सबूत मानता है। जीवन बीमा के विजिलेंस अधिकारी उदय सिन्हा ने कहा कि सिर्फ पैसे का लेनदेन भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि नियम तोडना भी भ्रष्टाचार का ही रूप है।

चिकित्सा शिक्षा में राष्ट्रीय सेवा और ज्ञान साझा करने का महत्व

भोपाल(काप्र)। एम्स के कार्यपालक निदेशक डॉ. अजय सिंह के नेतृत्व में एम्स की व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत डॉक्टर्स फॉर द नेशन का दूसरा अध्याय आयोजित किया गया। इस व्याख्यान का उद्देश्य संकाय, छात्रों और प्रतिभागियों को प्राप्त ज्ञान का समाज के भले और स्वस्थ समुदाय के निर्माण में उपयोग करने के लिए प्रेरित करना था।

इस कार्यक्रम में एम्स के अध्यक्ष डॉ. सुनील मलिक और कार्यपालक निदेशक डॉ. अजय सिंह ने व्याख्यान के महत्व पर

अपने विचार साझा किए। प्रो. सिंह ने कहा, इस व्याख्यान से प्राप्त ज्ञान को सभी संकाय, छात्रों और प्रतिभागियों को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहिए। यह न केवल उनके व्यक्तिगत विकास में सहायक होगा बल्कि समाज की सेवा और एक स्वस्थ समुदाय निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एम्स भोपाल के अध्यक्ष डॉ. सुनील मलिक ने भी अपने विचार व्यक्त किए, यह व्याख्यान संकाय और छात्रों के ज्ञान को बढ़ाएगा। यह चरित्र निर्माण में मदद करेगा और हमें समाज में अधिक प्रभावी तरीके से योगदान देने की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। मुख्य अतिथि, डॉ. जयंतीभाई भडेसिया, राष्ट्रीय संयोजक, सुसंस्कृत स्वास्थ्य सेवा ने इस व्याख्यान को संबोधित करते हुए शिक्षा के राष्ट्रीय सेवा के एक उपकरण के रूप में महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, शिक्षा का उद्देश्य हमेशा राष्ट्र की सेवा होना चाहिए।

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत तहसील कोलार भोपाल, म.प्र.

प्रकरण कं. /444/0760/16828/24

इश्तहार

आवेदक जय बहादुर पुन - स्व. श्री खिम बहादुर पुन निवासी एच-E-35-E-2, पंडित दीनदयाल परिसर भोपाल द्वारा ग्राम सनखेड़ी स्थित खसरा नंबर 9/5,3, 6/2 एवं 3, 6/1/1 नया खसरा नंबर 5, 11, 24, 30, 29, 52 का अंश भाग है। क्षेत्रफल 139.40 वर्ग मीटर का विक्रयपत्र/फौती/ वसीयत नामा के आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 27/11/2024 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 13/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील-कोलार, जिला-भोपाल